

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/माध्य-द/22492/प्रवेशोत्सव/2019-20/33

दिनांक : 25.04.2019

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :- समस्त राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि तथा अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

प्रसंग :- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, का पत्रांक: समसा/जय/वै.शि/प्रवेशोत्सव/2019-20/592 दिनांक : 16.4.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक-बालिकाओं को चिन्हित कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों एवं अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्य योजना बनाकर तदनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्नानुसार दो चरणों में संचालित किया जायेगा :-

प्रथम चरण :- दिनांक 26.04.2019 से 09.05.2019 तक

द्वितीय चरण :- ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी तिथि पृथक् से सूचित की जायेगी।

संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना बनाकर उक्त चरणों में यह सुनिश्चित किया जावे कि आंगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक-बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- यथोपरि।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
9. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), कार्यालय हाजा।
13. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
15. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
17. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
18. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

**नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु
प्रवेशोत्सव अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश**

सत्र: 2019-20

1. प्रस्तावना :-

- 1.1 हमारा संविधान 14 वर्ष तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुंच तथा नामांकन के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं पहुंच पाये हैं अथवा किन्हीं कारणों से विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
- 1.2 गत वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा चलाये गये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में ग्रामवासियों, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, कार्मिकों एवं अभिभावकों द्वारा दिये गये सहयोग से विभाग ने नामांकन वृद्धि में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बालक/बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। अतः विगत सत्र अनुसार शैक्षिक सत्र : 2019-20 हेतु इस कार्य के लिए एक वृहद् कार्य योजना बनाकर प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक स्तर पर कार्य किए जायें एवं पूर्व में नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्य अर्जित करने वाली संस्थाओं, संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं अन्य सहयोगियों को प्रोत्साहित किया जाए।
- 1.3 इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष : 2019-20 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया है। शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं शून्य ड्रॉप आउट वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु "उजियारी पंचायत" के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जायेगा। किसी पंचायत को "उजियारी पंचायत" के रूप में चिन्हित करने हेतु निम्न मापदण्डों को आधार बनाया जायेगा :-
 - 1.3.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक-बालिकाएं पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आगनबाड़ी में नामांकित है।
 - 1.3.2 5-6 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिका (आगनबाड़ी में नामांकित /अनामांकित /ड्रॉप आउट) का चिन्हिकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।
 - 1.3.3 कक्षा 5/8/10 में उत्तीर्ण अथवा इन कक्षाओं की परीक्षाओं में प्रविष्ट बालक-बालिकाओं के चिन्हिकरण पश्चात् उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपर्युक्तके अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन आगामी कक्षा में करवा दिया गया है।
 - 1.3.4 कोई भी विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है।
 - 1.3.5 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उस से अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहा है, तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलवाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

- 1.3.6 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित एवं विद्यालयों में प्रवेशित किये गये समस्त बच्चों की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है।
- 1.3.7 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बालक-बालिका विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित एवं अध्ययनरत हैं एवं बच्चों का स्तर आयु अनुरूप कक्षा अनुसार लाने के लिए विशेष शिक्षण करवाया जा रहा है।
- 1.3.8 ड्रॉप आउट फ्री "उजियारी पंचायत" के चिन्हिकरण एवं घोषणा हेतु निर्धारित प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे।
- 1.4 वर्ष : 2018-19 में निदेशालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा जारी नामांकन वृद्धि अभियान/प्रवेशोत्सव सम्बन्धी दिशा-निर्देश तथा हाउस होल्ड सर्वे हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किये गये थे, जिसमें 0-18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की पहचान की जाकर विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड का संधारण किया जाना था। सत्र : 2019-20 में प्रवेशोत्सव अभियान के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है तथा 3 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों का रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। 3 से 18 वर्ष तक के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जा कर 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ियों एवं 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये जाने आवश्यक हैं :-
 - 1.4.1 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना एवं विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना।
 - 1.4.2 चिन्हित बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना एवं इनके लिये विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना।
 - 1.4.3 3 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार चिन्हित करना एवं चिन्हित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण पता लगाकर उसी के अनुसार कार्य योजना बनाकर ऐसे बालक-बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना।
 - 1.4.4 समस्त अभिभावकों/ग्रामवासियों/स्थानीय निवासियों को बालक-बालिकाओं हेतु शिक्षण प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना।
- 1.5 उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष : 2019-20 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्नानुसार दो चरणों में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

प्रथम चरण : दिनांक 26.04.2019 से 09.05.2019 तक

द्वितीय चरण : दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित बाल सभाओं में प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा पश्चात् ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी तिथि पृथक् से सूचित की जायेगी।

2. प्रवेशोत्सव के दौरान एवं "उजियारी पंचायत" बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यों का विवरण

- 2.1 विद्यालय स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-
 - 2.1.1 नामांकित /ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं हेतु :-
 - i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हिकरण हेतु विभागीय स्तर पर हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है। इस कार्य के लिए पीईईओ द्वारा अपनी पंचायत के विद्यालयों से वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है।

- ii. वार्डवार नियुक्ति अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष तक के चिन्हित नामांकित बालक-बालिकाओं की सूची तैयारी की जायेगी।
- iii. उपर्युक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निमार्णाधीन भवन, गांव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन से उपलब्ध परिवार को भी सम्मिलित किया जाकर बालक-बालिकाओं को चिन्हित एवं सूचीबद्ध किया जायेगा।
- iv. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 0 से 5 एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जायेगा। आंगनबाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य समस्त बालक-बालिकाओं का विवरण प्रपत्र-1 (संलग्न) के अनुसार शाला दर्पण पर OoSc मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जायेगा।
- v. हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरन्त नामांकित नहीं किया जा सकता है, ऐसे चिन्हित बच्चों का विवरण OoSc मॉड्यूल में प्रपत्र-1 के अनुसार प्रविष्ट करना है। विद्यालय में नामांकित होने पर इन बच्चों की आगे की प्रविष्टि इसी मॉड्यूल से की जायेगी।
- vi. हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक-बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी (आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य) विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार Condensed Course / Bridge Course के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जायेगा।

2.1.2 पूर्व से विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु :-

- i. विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत कक्षा 5, 8, 10 के विद्यार्थियों को निदेशालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त निर्देशानुरूप वार्षिक परीक्षाओं के तुरन्त पश्चात् आगामी कक्षाओं में प्रोविजनली/अस्थायी तौर पर नामांकित किया जायेगा।

2.1.3 विद्यालय में अध्ययनरत/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन हेतु किये जाने वाले अन्य कार्य :-

- i. ग्रीष्मावकाश से पूर्व एसएमसी/एसडीएमसी की अन्तिम दो बैठकों में सभी सदस्य एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाये रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन करवाने हेतु प्रेरित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की जाये।
- ii. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारम्भ दिनांक 26.04.2019 को विद्यालय में समस्त अभिभावकों एवं अन्य ग्राम वासियों को आमंत्रित किया जाकर 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' का रूप देकर समारोहपूर्वक आयोजन किया जावे।

- iii. 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' में पीईईओ आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर नामांकन बढ़ोतरी, नामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के सम्बन्ध में अभिभावकों/ग्राम वासियों को प्रेरित करें। इस दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, नगर/गांव के प्रबुद्ध व्यक्तियों के उद्बोधन एवं शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों यथा बीडीओ/डीईओ/एडीपीसी/सीडीपीओ (आईसीडीएस) आदि को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
- iv. 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' में विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं यथा ट्रांसपोर्ट वाउचर, लेपटॉप योजना, गार्गी पुरस्कार इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी दी जावे।
- v. नवीन प्रवेश हेतु पात्र बालक-बालिकाओं के अभिभावकों को विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों द्वारा हस्तनिर्मित 'विद्यालय नामांकन आमंत्रण पत्र' भिजवाये जाकर विद्यालय में नामांकन हेतु आकर्षित/प्रेरित किया जावे।
- vi. विद्यार्थियों की टोली बनाकर अभिभावकों को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।
- vii. विद्यालय में प्रपत्र 1 के अनुसार विलेज एज्युकेशन रजिस्टर (VER) संधारित किया जाये, जिसमें 0 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित /ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनाएं अद्यतन रखी जाये।
- viii. विद्यालय में अथवा निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जावे।
- ix. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जावे कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।
- x. विद्यालय द्वारा अपने फीडर (कैचमेण्ट) क्षेत्र में जागरूकता रैली, प्रभात फेरी, नामांकन मार्च, चौपाल, मौहल्ला बैठक आदि के आयोजन, लाउड स्पीकर एवं पेम्पलेट के माध्यम से ग्राम वासियों को विद्यालय में नामांकन करवाये जाने हेतु प्रेरित किया जावे।
- xi. प्रथम चरण के सर्वे के अन्तिम दिन दिनांक 09.05.2019 को समस्त विद्यालयों द्वारा गाँव के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा का भव्य आयोजन किया जायेगा। इस बाल सभा में अभिभावकों, ग्रामवासियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा सम्मानित पदों पर कार्यरत विद्यालय के पूर्व छात्रों को आमंत्रित कर उनके समक्ष वार्ड एवं ग्राम के सर्वे में चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की सूची पढ़कर सुनाई जावे तथा इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये एवं नामांकन से शेष बच्चों के नाम पढ़कर सुनाया जावे। शेष बच्चों को विद्यालय में नामांकित किये जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर फीडबैक अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने का प्रयास किया जावे। नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जावे। पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा – पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, धार्मिक स्थल, चौपाल, स्थानीय बस स्टैण्ड आदि पर वार्डवार चिन्हित एवं नामांकित/अनामांकित बच्चों की सूची चस्पा की जावे।

- xii. कक्षा 6, 7, 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा तथा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड वितरण दिनांक 08.05.2019 को विद्यालय परिसर में ही किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थल पर आयोजित वृहद् बाल सभा में विद्यालय के समग्र परीक्षा परिणाम तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक लब्धि के बारे में चर्चा की जावे।
- xiii. ग्राम पंचायत की मासिक बैठक (प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख) में भी सर्वे में चिन्हित अनामांकित/ ड्रॉप आउट बच्चों की ग्रामवार सूची पढ़कर सुनाई जावे।
- xiv. सर्वे के दौरान चिन्हित बालक-बालिकाओं की सूची वार्डवार, ग्रामवार, संधारित करें तथा पीईईओ/सीबीईईओ कार्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराया जावे।
- xv. ग्रीष्मावकाश के उपरान्त प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जायेगा। इसमें विद्यालय द्वारा प्रथम चरण के सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर प्रथम चरण के सर्वे में शेष रहे अनामांकित/ ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित किया जावे।
- xvi. शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान रुचिकर गतिविधियों का समावेशन किया जावे।
- xvii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी कक्षा स्तर से निम्न स्तर पर है, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में 45 दिन तक Bridge Course / remedial Course के माध्यम से कक्षा स्तर पर लाया जायेगा एवं उक्त कार्य विद्यार्थियों में बीएसटीसी/बीएड इन्टर्न द्वारा तथा बीएसटीसी/ बीएड इन्टर्न नहीं होने पर विद्यालय में तृतीय श्रेणी (लेवल-1) अध्यापक द्वारा करवाया जायेगा।

3. सर्वेकर्ता शिक्षक के दायित्व :-

- 3.1 हाउस होल्ड सर्वे के अन्तर्गत नामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों सम्बन्धी प्रपत्र 1 को भरा जावे।
- 3.2 प्रपत्र पूर्णरूप से भरा जावे एवं कोई कॉलम खाली न रहे।
- 3.3 आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास (हेबिटेशन), पुरबा या अस्थायी परिवार सर्वे से वंचित न रहे।
- 3.4 निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 0 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के समूह में सम्बन्धित संस्था प्रधान को जमा करावें।
- 3.5 चिन्हित बालक-बालिकाओं की सूची शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करवाने में पीईईओ कार्यालय को सहयोग करें।

4. पीईईओ स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- 4.1 वार्षिक परीक्षा के तुरन्त पश्चात् एवं ग्रीष्मावकाश से पूर्व अपने विद्यालय के अध्यापकों, मेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान/हैड टीचर के साथ आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।

- 4.2 पंचायत के प्रबुद्ध नागरिकों/सक्रिय ग्रामीणों/विद्यालय के पूर्व छात्र, जो सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं, के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जावे।
- 4.3 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ एएनएम / अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जावे।
- 4.4 पंचायत में वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त किया जाकर हाउस होल्ड सर्वे किये जाने के आदेश प्रसारित किये जावें।
- 4.5 समस्त संस्था प्रधान/हैड टीचर/ टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी जावें।
- 4.6 वार्डवार नियुक्त अध्यापक द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर सूचियां तैयार की जावे। ये सूचियां 05 वर्ष तक के बच्चों एवं 5 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की अलग-अलग सूची तैयार की जावे।
- 4.7 सर्वे में चिन्हित बालक-बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर तुरन्त प्रविष्टि/अपडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 4.8 पंचायत में हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव चरण प्रथम में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे तथा द्वितीय चरण में चिन्हित बालक-बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जावे।
- 4.9 चिन्हित अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जावे तथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुसार कक्षा का स्तर प्राप्त किया जावे।
- 4.10 विगत सत्र / इस सत्र में नामांकित किये गये समस्त आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को आयु अनुसार कक्षा के स्तर पर लाने के लिए विशेष शिक्षण दिया जाना आवश्यक है, अतः इन समस्त विद्यार्थियों को पृथक् से विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाकर इन्हें कक्षा स्तर पर लाया जावे। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा - निर्देशानुसार इनके लिये विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जावे।
- 4.11 अपने स्वयं के एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्र में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक-बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत में टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करें एवं प्रगति की समीक्षा करें।

[Signature]

- 4.12 अपनी पंचायत के प्रत्येक विद्यालय में प्रपत्र 1 के आधार पर विलेज एज्युकेशन रजिस्टर (VER) रजिस्टर का संधारण एवं अपडेशन सुनिश्चित किये जाने बाबत समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जावे एवं इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।
- 4.13 अनामांकित / ड्रॉप आउट/ नवीन प्रवेश हेतु पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार, रैली, प्रभात फेरी, चौपाल, बैनर निर्माण, मौहल्ला, चौराह बैठकों, लाऊड स्पीकर एवं पेम्पलेट के माध्यम से विद्यालयों में नामांकन/नामांकन वृद्धि हेतु प्रयास किया जावे।

5. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- 5.1 ब्लॉक स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्य योजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जायेगा।
- 5.2 बैठक में बीडीओ, सीबीईईओ, ब्लॉक आरपी, सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग), समस्त पीईईओ एवं उत्कृष्ट संस्था प्रधानों द्वारा नामांकन प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5.3 ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत वार्ड वार्डज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवाई जावे।
- 5.4 ब्लॉक विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' में यथासंभव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।
- 5.5 ग्रीष्मावकाश पश्चात् आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठक में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में लक्ष्य के विरुद्ध की गई प्रगति की समीक्षा की जावेगी।
- 5.6 नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु पीईईओ द्वारा किये जाने वाले समस्त कार्य शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित सीबीईईओ द्वारा किये जायेंगे।
- 5.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के वार्ड की निर्वाचक नामावली को आधार माना जाये।
- 5.8 ब्लॉक स्तर की शहरी क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के साथ-साथ बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों/चौराहों, निर्माणाधीन भवन, बेघर/घुमन्तु/मौसमी पलायन एवं कच्ची बस्ती के परिवारों, पुल के नीचे रहने वाले परिवारों का भी सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को सीबीईईओ द्वारा चिन्हित एवं सूचीबद्ध किया जावे।
- 5.9 हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं का वार्ड वार एवं राजस्व ग्रामवार संधारण किया जावे।
- 5.10 सीबीईईओ द्वारा शहरी क्षेत्र में चिन्हित बालक-बालिकाओं को वार्डवार एवं क्षेत्रवार शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5.11 ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 2 सदस्यी टीम गठित कर अपने ब्लॉक के कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों के सर्वे का रेण्डम वेरीफिकेशन करवाया जावे एवं वेरीफिकेशन रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जावे।

6. जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- 6.1 जिला स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्य योजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
- 6.2 उपरवर्णित जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाई जायेगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्राशि/माशि, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जनसम्पर्क अधिकारी को आमंत्रित किया जाकर कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा समस्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत वार्ड वाईज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवाई जावे तथा कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे।
- 6.4 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समस्त सीडीपीओ के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों/कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जावे।
- 6.5 जिला स्तरीय समिति के सदस्य एवं अन्य आमंत्रित सदस्य जिले के अलग-अलग स्थानों पर विद्यालय में आयोजित होने वाले 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।
- 6.6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमों बनाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित गतिविधियों का सघन पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करवाई जावे।
- 6.7 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दो सदस्यी टीम गठित कर अपने जिले के समस्त ब्लॉक के कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रेण्डम वेरीफिकेशन करवाया जावे।

7. गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका :-

सरकारी विद्यालयों में नामांकन, ड्रॉप आउट/ अनामांकित बालक-बालिकाओं को शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं/ समूह का यथासंभव सहयोग लिया जावे।

8. प्रचार-प्रसार :-

- 8.1 नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
- 8.2 प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया माध्यमों- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि का उपयोग किया जावे तथा यथा सम्भव प्रत्येक दिन जिले में कार्यक्रम प्रगति के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करावें और इस सम्बन्ध में आवश्यक सहयोग हेतु जिला जनसम्पर्क अधिकारी के साथ निरन्तर सम्पर्क रखा जावे।
- 8.3 नामांकन बढ़ोतरी/ अनामांकित/ ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से पूर्व जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाकर जिले के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाये जावें।
- 8.4 अनामांकित/ ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक एवं पंचायत के मुख्य स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मन्दिर, सामुदायिक केन्द्र आदि पर दीवार लेखन, लाऊड स्पीकर, पेम्पलेट विवरण एवं बैनर लगाये जायें।
- 8.5 विद्यालय में अभिभावक-अध्यापक परिषद की बैठक की जाकर समस्त अभिभावकों को नामांकन में सहयोग बाबत प्रेरित किया जावे।
- 8.6 मौहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों से वंचित हुए बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करे।
- 8.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान 'नामांकन कार्यक्रम' को केन्द्र में रखकर विद्यालय में बाल सभा, खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जावे।
- 8.8 दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित बालसभा में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण के दौरान नवप्रवेशित बच्चों एवं अभिभावकों का स्वागत किया जावे।
- 8.9 प्रवेशोत्सव के दौरान नवप्रवेशित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जावे।
- 8.10 क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में नामांकित एवं विद्यालय में प्रवेश योग्य बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क किया जाकर बच्चों को विद्यालय में नामांकन करवाये जाने हेतु प्रेरित किया जावे।

9. सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों/ शिक्षकों/ अभिभावकों को प्रोत्साहन :-

- 9.1 प्रत्येक विद्यालय /ग्राम पंचायत पर नामांकन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जावे।
- 9.2 प्रत्येक पंचायत समिति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन संस्था प्रधानों/ शिक्षकों को उपखण्ड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।
- 9.3 प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पांच संस्था प्रधानों / शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।
- 9.4 राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जावे।
- 9.5 श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय/ संस्थाप्रधान/ शिक्षक का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा बनाये गये मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा। इस बाबत परिषद् द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

9.6 प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

9.7 प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

10. विशेष ध्यातव्य :-

शैक्षिक सत्र : 2019-20 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

॥ विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना ॥

क्षेत्र बीईईओ कार्यालय का नाम:- ग्राम/वार्ड का नाम:- सर्वे दिनांक :-

विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम/वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है :-

[illegible]

८५८१४१५

सर्वे प्रपत्र भरने वाले शिक्षक/शाला प्रधान का नाम :-

मोबाईल नम्बर :-

विद्यालय का नाम:-